... फाइल पेश हुई ... सूची / आदेश 06 R 17 CPC का अवलोकन किया।
क्र. 915 पत्र के पत्र आदेश CPC ... किया
सर्वे किया है जो तक पत्र ... किया जाता है।
1270/963 ... 963 रकबा 2.37 हे०
... है। ... 1.70 हे० ... गोला ...
... पत्र ... किया ... पत्रावली
पेश हो ... तिथि 14.10.20 को

14-10-20

प्रार्थी ... उप० / प्रार्थी ... साक्ष्य पेश करने मौका चाहते हैं। ... साक्ष्य वादी दिनांक 28-10-20 को पेश हो / ...

28-10-20

प्रार्थी वादी उप० / प्रार्थी वादी ने साक्ष्य के रूप में PW-1 ..., PW-2 पवन कुमार यादव शपथ पत्र पेश किये। PW-1 ... बहस हेतु दिनांक 2-11-20 को पेश हो।

2-11-20 प्रार्थी वादी उप० / प्रार्थी वादी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ... डिक्री किया जाता है।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
संलग्न कर दिया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तकमील तामील
लेख भण्डार हो। यह निर्णय मेरे द्वारा
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

...य उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:— श्री गुमान सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

...ख्या | प्रवेश तिथि 17.06.2020 | निर्णय तिथि 02.11.2020

उनवान

1. राजपाल सिंह पुत्र हरिपाल सिंह जाति जाट निवासी, बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि शाखा) पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

:— प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व राज्य सरकार के परिपत्र 06.10.09 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012

....

उपस्थिति:—

1. श्री संजय यादव वकील प्रार्थीगण की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार

—: निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई।वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:— वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोलनी तहसील किशनगढवास के हाल आराजी खसरा नम्बर 963 ,रकबा 2.34 हे. जो कुल रकवा 17 वीघा 05 विस्वा का था , जिसका साविक खसरा नम्बर 933 मिन रकवा 1—00 वीघा किस्म वजड का काविज काश्तकार वन्नीखां पुत्र निवाजखां मेव था मौजदा वाद साविक खसरा नम्बर 933 मिन रकवा 1—00वीघा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 963 मे से 1—00 वीघा रकवा के बावत प्रस्तुत किया है वाद के जेरकार रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। वाद स्वीकार उक्त प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का हाल खसरा नम्बर वाद सेग्रीकेशन 1276/963 रकवा 1.70 हे0 वना ,जो आराजी वाद विवादित आराजी कहलायेगी।

विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 933 ,रकवा 4—,04 वीघा मटियार ढहरी रकवा था जिसमे से 1—10 वीघा की सनद खातेदारी 493 सन 1967 मे सदोरासिह पुत्र कुडिया सिह को जारी कर दी गई तथा 933 मिन मे से 1 वीघा 10 विस्वा की सनद 1439 सन 1972 मे खुन्दूसिह पुत्र कुडिया सिह को जारी हो गई । शेंष 1 वीघा पर वन्नी खां का पिता निवाजखां गैर मौरूसी काविज काश्त था जिसके नाम का अंकन जमावन्दी सम्वत 2003 मे हो रहा है। जमावन्दी सम्वत 2011 मे भी ,निवाजखां का नाम अलौटी सदोरासिह पुरूपार्थी के साथ अंकित है विकेता वन्नीखां का पिता निवाज खां के फोत होने के वाद विवादित आराजी पर वन्नीखां पुत्र निजाजखां हिस्सेदार काविज काश्तकार

...जमाबन्दी सम्वत 2003, 2011, 2015, 2019 मे नियाजे खां के नाम का अंकन हो रहा है। ...गिरदावरी सम्वत 2016 से 2023 मे भी नियाजखां के नाम का अंकन हो रहा है। ...न सैटिलमेन्ट हाल नम्बर 963 कायम करते वक्त साबिक खसरा नम्बर 933 [illegible] अंकित है ...खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकार्ड के मूल अंकन बन्नी को बजाय शामिल अंकित करते हुए हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हैo कायम कर दिया गया। चूंकि बन्नी ...न नियाजखां अनपढ़ वो जमींदार पेशा अज्ञान व्यक्ति था जिसकी अज्ञानतावश ऐसा हुआ है जमाबन्दीयात सम्वत 2003, 2011, 2015, 2019 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 संलग्न संलग्न वाद पत्र है।

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हैo मे से रकबा 1–00 बीघा ...बा पर बन्नीखां पुत्र नियाजखां मेव निवासी तितरका काबिज होकर काश्त करता था जिसने अपनी ...च्छा से अपने कब्जे काश्त की आराजी रकबा एक बीघा जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन ...का बेचान का सौदा मिन वादी से तय करते समय अपनी पारिवारिक जरूरतो हेतु मुबलिग 3,00,000 रू. मे वादी को बेचान कर विधिवत इकरारनामा बेय दिनांक 10.04.2011 को स्टाम्प खरीद कर उसे विधिवत तहरीर कराते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी पर वादी को सौप दिया था बेरोज खरीद से वादी ही सालिम एक बीघा पर काबिज है मौके पर आज भी वादी ही काबिज काश्त है फसल बोता वो दरो करता आ रहा है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित प्रति इकरारकनामा दिनांक 10.04.2011 सलग्न वाद पत्र किया जा रहा है।

विकेता बन्नी पुत्र नियाजखां जाति मेव निवासी तितरका मुतनाजा आराजी पर गत 60–65 वर्षो अर्थात 'सम्वत 2003 से निरन्तर काश्त करता रहा, जिसने अपनी स्वेच्छा से अपने हकूक आराजी का बेचान दिनांक 10.04.2011 को वादी को करते हुए सम्पूर्ण विकय राशि प्राप्त कर कब्जा सोप दिया, उसके बाद वादी आराजी पर निरन्तर बैतोर खरीददार काबिज काश्त चला आ रहा है बाद बेचान अलौटी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध वो सरोकार अथवा कब्जा काश्त नही रहा है बल्की वादी मौके पर काबिज है और वादी को विकेता, बन्नीखां ,मेव की भांती आराजी पर कानूनी हक हकूक प्राप्त हो चुके है ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है।

अतःप्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

7. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 1 बीघा जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन 1–00 बीघा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का जरिये इकरारनामा बैय दिनांक 10.04.2011 के काबिज काश्तकार खरीददार मौका पर काबिज वो दखिल है जो काबिज काश्त रकबा है ऐसी सूरत मे वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकं 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांकं 30.03.2012 के अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा करा कर सनद खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इस प्रकार की घोषणा वादी कराने के अधिकारी है।

8. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीयात मे जो मुतनाजा पर बंजड सिवायचक का अंकन दर्ज रिकार्ड हो रहा है जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका वो रिकार्ड एवं हकूक वादी के विरूद्व नल

है काबिल दुरूस्ती है जिसे रकबा 0–13 बिस्वा की जद तक इजाफ कराया वादी को खातेदार घोषित किया जावे। कब्जा का वादी को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे, फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. जो कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा एक बीघा वाके ग्राम बोलनी है साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2003 मे निवाज खां वगैरा काश्त सदौरासिंह ,कुडियासिंह , फुन्दुसिंह समभाग पुरूषार्थी तथा जमाबन्दी सम्वत 2015 मे कुडियासिंह , सौदागरसिंह , फुन्दुसिंह वैगरा रकबा 4 बीघा पर एवं जमाबन्दी सम्वत 2019 मे खाता सख्या 264 पर सदौरासिंह मु. खाता 263 बकाश्त घोसी पुत्र भूरा मेव सा. तिलरका उपकृषक 4 साल दर्ज रिकार्ड है उपरोक्त आराजी जिसका हाल 963 मिन जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 रकबा 1–00बीघा को बाकब्जा दिनांक 10.4.2011 को खरीद करना बताया है जबकी हाल खसरा ,नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. सिवायचक दर्ज खाता सख्या 1 सरकार है जिसकी किस्म भूड अव्वल ढहरी दर्ज है जिसे पूर्व काबिज काश्तकार ने अपने कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 963 मे से 1–00 बीघाा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशगनढबास वादी को बाकब्जा बेचान कर कब्जा दिया जाना अंकित किया है तथा वादी ने रकबा एकबीघा पर अवैध हस्तानान्तरण कब्जा मानते हुए वाद दायर किया है जिससे राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है ।

जबाब प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) पैश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276 / 963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा 1–00 बीघा का विकेता बन्नीखां पुत्र निवाजखां मेव कब्जेकाश्त की आराजी है ।

जिम्मे वादी

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276 / 963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन ,रकबा 1–00 बीघा कब्जे काश्त की आराजी है।

जिम्मे वादी

3. आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा 1–00 बीघा को हाल खसरा नम्बर 1276 / 963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी

सुतोष

बाद कायमी तनकीयात वकील वादी द्वारा साक्ष्य मे शपथ पत्र राजपाल पी.डब्ल्यू 1 , पवन कुमार पी.डब्ल्यू 2. पेश किये। पी.डब्ल्यू 1 प्रदर्श कलमबद्ध कराये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 प्रदर्श 1. नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श 2 ,नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–19 प्रदर्श 3. नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 प्रदर्श 3, इकरारनामा दिनांक 27.08.97 प्रदर्श 4. विधिक नोटिस प्रदर्श.5. पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये।

ने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद दी को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की। तनकीवार विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा 1–00 बीघा का विकेतां बन्नीखां पुत्र निवाजखां मेव कब्जेकाश्त की आराजी है । इस तनकी का भार वादी पर है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का साबिक खसरा नम्बर 933मी रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा , 934 मी. रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा , 939/1 रकबा 0–09 बिस्वा, 939/2 रकबा 0–11 बिस्वा, 940 मी. 1–03 बिस्वा, 941मी. रकबा 1–08 बिस्वा, 942मी. रकबा 0–15 बिस्वा, 943 मी. रकबा 0–17 बिस्वा, 944 रकबा 0–13 बिस्वा, 950मी. रकबा 2–06 बिस्वा, 953मी. रकबा 2–00 , 954मी. रकबा 2–11 बिस्वा, 957 रकबा 1–16 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी पैमूद हुए है। तथा सेग्रीकेशन विवादित आराजी के हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास कायम हुआ। प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2003 के साबिक खसरा नम्बर 933 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा निवाजखां वैगरा मुन्दर्जे खाता सख्या 670 काश्त सदोरासिह पुत्र कुडियासिह समभाग पुरूषार्थी दर्ज रिकार्ड है। जिसमे 4 बीघा किस्म भूड अव्वल ढहरी एवं 0–04 बिस्वा गैर मु. नदी दर्ज रिकार्ड है। तथा छाया प्रति खसरा गिरदावरी संम्वत 2016–19 मे मुताबिक हिस्सेदार काश्त खरीफ , रवी की फसल कां अंकन है। जिससे यह बाखुबी साबित होता है कि आराजी विवादित निवाजखां वैगरा की कब्जे काश्त की आराजी थी। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी. के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 वाके ग्राम बोलनी जिसका साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा 1–00 बीघा कब्जे काश्त की आराजी है। इस तनकी का भार वाद पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 मे वर्णित किया गया है कि विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 933 मिन रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी जो प्रदर्श 5 है मे सदोरासिह मुन्दर्ज खाता सख्या 263 बकाश्त घोसी वल्द भूरा मेव सा. तितरका उपकृषक 5 साल दर्ज रिकार्ड है। भू. प्रबन्ध विभांग द्वारा आराजी उक्त को सिवायचक दर्ज कर दिया है चूकी आराजी विवादित हाल 963 रकबा 2.34 हे. के साबिक खसरा नम्बर 933 मिन मे से 1–00 बिस्वा वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 10.4.2011 जो प्रदर्श 6 है के द्वारा खरीद की गई। तथा बाद सेग्रीकेशन विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 कायम हुए। वक्त खरीद से ही वादी का कब्जा है तथा वर्तमान मे भी वादी

ही कब्जा काश्त है जो तहसीलदार किशनगढबास द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/20/241 दिनांक 08.10.2020 के साथ सलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का ...09.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 है. वाके ग्राम बीलनी जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता सख्या 1 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 किस्म बजड (सिवायचक) मे से 0–13 बिस्वा यानी 0.16 हे. रकबे पर राजपालसिह पुत्र हरिपाल जाति जाट निवासी बासडा रोड किशनगढबास का कब्जा है जिसमे वर्तमान मे जोत लगाई हुई है जिसकी रिपोर्ट धारा 91 के तहत कर दी गई है। तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2019 साबिक खसरा नम्बर 933 रकबा 1–04 बीघा किस्म अव्वल ढहरी, 4 बिस्वा गैर मु. नंदी सदोरासिह वैगरा दर्ज रिकार्ड है। दर्ज रिकार्ड है।जिससे यह बाखूबी साबित होता है विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है आज भी वादी का ही कब्जा है इसलिए यह तनकी बहक वादी,विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

3. आया भू. प्रबन्ध विभाग द्वारागलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 933 मी. रकबा 1–00 बीघा हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे शामिल करते हुए बजंड दर्ज कर दिया जिसे वादी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्व करने के लिए वादी ने छाया प्रति मिलान क्षेत्रफल सलग्न वाद किया हुआ है जिससे साबित है कि साबिक खसरा नम्बर 933 मी रकबा 1–13 बिस्वा को खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 मे शामिल किया गया है तथा बाद सेग्रीकेशन 963 का विवादित खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. बना है तथा नकल जमाबन्दी भू. प्रबन्ध सम्वत 2029 के अवलोकन से साबित है कि अलौटशुद्वा भूमि को भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 2.34 हे. तथा बाद सेग्रीकेशन खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे. दर्ज करते हुए सिवायचक बजंड कदीम दर्ज किया है जबकी भू. प्रबन्ध को पूर्व रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराया जाना चाहिये.था। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

4. आया वादी आराजी उक्त पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 से यह बाखुबी साबित हो चुका है आराजी विवादित निवाजखां मेव की कब्जे काश्त की आराजी है जो साबिक रिकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 3 से बाखूबी सिद्व होता है तथा प्रदर्श 3 गिरदावरी से भी विक्रेता द्वारा फसल काश्त किया जाना सिद्व होता है निवाजखां के वारिस बन्नी पुत्र निवाज खां मेव निवासी तितरका द्वारा आराजी विवादित मे से 1–00बीघाा जर्ये इकरारनामा दिनांक 10.04.2011 के द्वारा क्रय किया गया है जो प्रदर्श 6 से बाखूबी सिद्व होता है तथा वर्तमान मे तहसीलदार एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इसलिए वादी का विवादित आराजी पर कब्जा बाखूबी सिद्व होता है राज. सरकार के परिपत्र क्र. प. 1 (15)राज–पुनर्वास/2009 दिनांक 30.3.2012

बिन्दु सख्या 5 मे उल्लेख किया हुआ है कि " ऐसे व्यक्ति जिन्होने इस परिपत्र मे उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारो से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय की हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हो , उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व / कब्जे के बारे मे निर्ण करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात बिन्दु सख्या 3 के अनुसार नियममितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेगे। " साबिक जमाबन्दीयात से साबित है कि यह निष्कान्त आवंटित शुद्धा भूमि थी जो सम्वत 2029 से पूर्व आवंटी के नाम दर्ज थी। मगर सम्वत 2029 मे भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा बिला आवंटन निरस्त के ही सिवायचक बजंड दर्ज कर दी गई जो विधिक भूल रही है चूकी दिनांक 27.08.97 से आज तक निरन्तर वादी के कब्जे काश्त की ताईद होती है इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है वादी उक्त परिपत्र के अनुसार राशि जमा राज कोष जमा कराया जाकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. आया प्रतिवादी आराजी उक्त पर वादी का कोई सम्बध सरोकार नही है दावा वादी काबिले खारिंज है।इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है तनकी की समर्थन मे प्रतिवादी द्वारा विरूद्व वादी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है साबिक राजस्व रिकार्ड मे विक्रेता एवं मौके पर कब्जा बाबत रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार के अनुसार मौके पर वादी का ही कब्जा है जिससे यह नजरअन्दाज नही किया जा सकता कि विवादित आराजी पर वादी का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। तथा प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है जिससे साबित हो सके की कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया हो , जब आवंटन ही निरस्त नही किया गया तो आवंटी के हकूक कानून द्वारा रक्षित है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि छुटना को बेचान का कोई अधिकार नही हो तथा विक्रेता का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही हो। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबे को गलत रूप से सिवायचक दर्ज किया गया है जो काबिले दुरूस्ती है तथा यह तथ्य प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब मे स्वीकार किया है कि प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार न्यायालय श्रीमान क्षेत्राधिकार मे है। इसलिए तय तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

6. अनुतोष :– विवादित आराजी निष्कान्त कृषि भूमि है जो साबिक रिकार्ड मे निवाजखां वैगरा के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि को अवैध हस्तानान्तरण वादी के पक्ष मे होना साबित होता है। मोके पर वाद के कब्जे काश्त की ताईद होती है। वर्तमान मे वादी काबिज है। तथा राज्य सरकार के परिपत्र के दिनांक 30.3.2012 के अनुसार वादी से भूमि की कीमत कर्जा मय ब्याज, नियमितिकरण शुल्क व शास्ती परिपत्र के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार जमाकोष कराया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उक्त तनकीयात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जा चुकी है तथा विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 944 मी विक्रेता बन्नीखां के पिता नियाजखां द्वारा 1-00 बीघा वादी द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 10.04.2011 द्वारा खरीद किया तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढबास एवं पटवारी हल्का के अनुसार मौके पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 मे से 1-00 बीघा पर वादी का कब्जा है तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना, किसी तथ्यो एवं आदेश तथा खिलाफ मौका सिवायचक दर्ज किया है जो खिलाफ वादी के हकूको के दर्ज किया है चूकी विवादित आराजी पर वादी का वर्तमान मे कब्जा काश्त है वादी का कब्जा बाखूबी सिद्ध होता है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क, 'शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्धान्त भी यही है अतः वाद वादी काबिल डिकी करार पाता है ।

अतः आदेश है:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी साबिक खसरा नम्बर 933 मी रकबा 1–13 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1276/963 रकबा 1.70 हे0 हे. मे से 1–00बीघा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशगनढवास को काविज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी द्वारा 1250 रू. प्रति वीघा कीमत भूमि मय व्याज व नियमितिकरण शुल्क 4000 रू. प्रतिबीघा तथा 2000रू. प्रति बीघा की दर से शास्ती जमा हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख कोष, कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिकी जारी भण्डार हो । सुनाया गया।

मुकुट सिह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)